संख्या–3613/11–27–सिं0–4–174(डब्लू)/11

प्रेषक,

जय विलास,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सिंचाई अनुभाग–4 **लखनऊः दिनांकः** 9 **सितम्बर, 2011**

विषयः मे0 वेलस्पन द्वारा जनपद मिर्जापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना हेतु 36 एम0सी0एम जल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–236/अनिमं–8/यू0–6/पी0–20(ता0) दिनांक 05.09.11 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मे0 वेलस्पन द्वारा जनपद मिर्जापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना हेतु 36 एमसीएम जल उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती हैः–

(1) मे0 वेलस्पन द्वारा जनपद मिर्जापुर में प्रस्तावित 1320 मे0वा0 की तापीय परियोजना हेतु 36 एम0सी0एम0 जल देने के लिए यह आवश्यक है कि अपर खजुरी जलाशय तथा गंगा नदी स्थित पम्पिंग स्टेशन के मध्य उचित स्थान पर सेटलिंग पौण्ड का निर्माण किया जाये, जिसमें गंगा नदी का जल सीधा डालने के उपरान्त पुनः पम्पिंग के द्वारा अपर खजुरी जलाशय में डाला जाये, जिससे जलाशय के अन्दर अपेक्षाकृत कम सिल्ट की मात्रा आये। इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भार विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) गंगा नदी से जल उठाने, अपर खजुरी बांध तक लाने एवं अपर खजुरी बांध से तापीय परियोजना तक ले जाने तथा बांध के पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावित समस्त कार्य संबंधित समस्त पूंजीगत व्यय, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाना होगा।

(3) सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या–2953/11–27–सिं0–4–8(जल)/82, दिनांक 15–7–2011 के अनुसार अकृषि कार्य हेतु जल की रायल्टी एवं जल मूल्य की यथा संशोधित दर से देय होगा।

(4) उक्त तापीय परियोजना हेतु गंगा नदी से जल उठाये जाने के संबंध में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं अन्य मंत्रालयों की अनापत्ति भी विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,

(जय विलास)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

3– महाप्रबन्धक, वेलस्पन एनर्जी लि0, नई दिल्ली।

4– मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 वाराणसी।

आज्ञा से,

(जय विलास)
संयुक्त सचिव।